



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 335 राँची, शुक्रवार,

22 जुलाई, 2022 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2022

संख्या-16/नि०-03/2013- 2926--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2022" कहलाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 की नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है:-

"शैक्षणिक योग्यता:- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- "केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (संशोधन सहित) की नियम-14 में किये गये प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

" 14. नियुक्ति प्रक्रिया के चरण:- नियुक्ति प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी, जो क्रमशः शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा, चिकित्सीय जाँच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा होगी।

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

(i) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु तिथि एवं चयन केन्द्र स्थल का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक एवं संबंधित से समन्वय कर किया जायेगा।

(ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्ड:-

पुरुषों के लिए - 60 मिनट में 10 कि०मी० की दौड़।

महिलाओं के लिए - 40 मिनट में 05 कि०मी० की दौड़।

नोट- शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाईंग (Qualifying) प्रकृति का होगा।

(ख) चिकित्सीय जाँच परीक्षा:- शारीरिक मापदण्ड/दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा इसमें सफल होना आवश्यक होगा। चिकित्सीय परीक्षण के तहत चिकित्सा पर्षद द्वारा निम्न चिकित्सीय दोषों का परीक्षण किया जायेगा।

" मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टि दोष, Colour Blindness/Night Blindness, Hearing, Stammering, vericocoe/Hydrocoele/Piles तथा Any Communicable Physical/Mental Disease."

उक्त के अलावे शारीरिक मापदण्ड अंतर्गत अभ्यर्थियों की उँचाई की माप भी चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

चिकित्सीय परीक्षण में उपर्युक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

उक्त चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए "Apex Medical Board" अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, झारखण्ड, राँची होगा। चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में "Apex Medical Board" का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) लिखित परीक्षा:-

(i) शारीरिक मापदण्ड/दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(ii) शारीरिक मापदण्ड/दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा लिखित परीक्षा हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जायेगी। जिसे झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जायेगा।

(iii) लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्ताक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली (संशोधन सहित) में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।"

4. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (संशोधन सहित) की नियम-16 में अंकित प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"16. मेधा सूची का गठन:- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के अनुरूप मेधाक्रम में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची/परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (**Equal Marks**) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें मेधासूची में अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की ऊँचाई (जिनका अधिक हो) को उपर स्थान मिलेगा। उक्त स्थितियों में भी समानता होने के स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में उपर रखा जायेगा।"

5. उपरोक्त नियमावली में समय-समय पर किये गये संशोधनों से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझे जायें।

6. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव।
